राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(15)नविवि/जयपुर/2021 जयपुर, दिनांक :– 27.02.2021

आदेश

ऐसी राजकीय/विभागीय/नगरीय निकायों की भूमि, जो आवेदक/खातेदार की निजी भूमि एवं सड़क मार्गाधिकार के मध्य प्लाण्टेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टी के रूप में स्थित है एवं जिसका स्वतंत्र उपयोग राजकीय विभाग/नगरीय विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित खोतदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर, उपयोग हेतु निम्नांकित शर्तो पर अनुमत करने की कार्यवाही की जावें:–

1. कम से कम 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की जावें।
2. उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग हेतु अनुमत होगी।
3. सड़क मार्ग मार्गाधिकार पर स्वामित्व विभाग/नगरीय निकाय के नाम यथावत रहेगा।
4. उक्त भूमि का भविष्य में मिलने वाला कोई भी मुआवजा प्रार्थी को देय नहीं होगा।

अबतक किसी प्रकरण में यदि, इससे अधिक राशि प्रार्थी से वसूल की जा चुकी है, तो जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—Sd—

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम